1 सिबिल अपील क्रमांकः 16/14

न्यायालयः— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म०प्र०) (समक्षः श्री पी.सी. आर्य)

सिबिल अपील कृमांकः 16 / 14 संस्थित दिनांक -7 / 5 / 2009

1.	रामपाल,	प्त्र-रामरतन	(मृत)	,वारिसानः–

- (अ) चरनोबाई वेवा रामपाल,
- (ब) होतमसिंह पुत्र–रामपाल,
- (स) जगदीश पुत्र-रामपाल,
- (द) राजू पुत्र-रामपाल,
- (ई) सुनीता पुत्री-रामपाल,
- (क) मीरा पुत्री-रामपाल,
- (ख) अनीता पुत्री-रामपाल, समस्त जाति मॉझी, निवासीगण गोहद, परगना गौहद जिला भिण्ड।
- 2. छोटेलाल, आयु-65 साल,
- 3, (अ) महादेवीं वेवा-रामरतन,
 - (ब) नारायण,पुत्र-रामरतन,
 - (स) राजाराम,पुत्र–रामरतन,
 - (द) ऊषा पुत्री-रामरतन,
 - (ई) लक्ष्मी पुत्री–रामरतन, समस्त जाति मॉझी, निवासीगण गोहद, परगना गौहद जिला भिण्ड।
- 4. रमेश पुत्र–गंगाराम मॉझी, आयु–40 साल,

बनाम

1. हीरालाल पुत्र-भवानी, (मृत),वारिसानः-

- (अ) नर्मदा पुत्री–हीरालाल, आयु–45 साल, पत्नी–रतन बाथम, निवासी रेशम मिल, ग्वालियर।
- (ब) पालू पुत्री–हीरालाल, पत्नी–दर्शन, निवासी रेशम मिल,ग्वालियर।
- 2. शांति आयु-50 साल, पत्नी हीरालाल,
- 3. रामौतार आयु—30 साल,पुत्र हीरालाल, निवासी वार्ड नं0 2, पशु अस्पताल के सामने, गोहद जिला भिण्ड । —————<u>प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण</u>

अपीलार्थीगण द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता । प्रत्यर्थीगण द्वारा श्री एन.पी. कांकर अधिवक्ता ।

न्यायालय—श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, गोहद, जिला भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक—41 ए/2008 ई.दी. में पारित निर्णय दिनांक 19/03/2009 से उत्पन्न सिविल अपील।

<u>—::— नि र्ण य —::—</u> (आज दिनांक 2 जुलाई **2014** को घोषित किया गया)

01 अपीलार्थीगण की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील अंतर्गत धारा 96 एवं आदेश 41 नियम 1 सी0पी0सी0 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, गोहद के सिविल वाद क्रमांक 41 ए/2008 में प्रदत्त निर्णय व डिकी दिनांकित 19/3/2009 से विछुब्द होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी /वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है ।

प्रकरण में विवादित भूमि की चर्तुसीमा के संबंध में कोई विवाद नहीं 02 है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि वर्ष 1962 में विवादित भूमि पर निमार्ण हेत् वादी / अपीलार्थी रामपाल द्वारा नगर पालिका गोहद से स्वीकृति प्राप्त की गई है। वादीगण / अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेत् इस आधार पर पेश किया गया था कि, विवादित भूमि कस्बा गोहद में वार्ड नम्बर 2 में स्थित है, जो 51 फूट लम्बी तथा 33.6 इंच चौड़ी पूर्व से पश्चिम तथा 29.6 इंच चौड़ी पूर्व से पश्चिम उत्तर दिशा की और है। वादी पैत्रक संपत्ति होने के आधार पर उस पर काबिज एवं आधिपत्यधारी है। उक्त जगह पर मकान निमार्ण हेतु स्वीकृति भी नगरपालिका गोहद से वादी रामपाल ने वर्ष 1961 में प्राप्त की है। पश्चिम भाग में बने हुए मकान के तीन परनाले विवादित भूमि में काफी समय से गिरते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 ने दिनांक 01.02.1994 को उक्त जगह में निमार्ण की अनुमति नगरपालिका गोहद से गलत आधारों पर प्राप्त कर ली है। रामपाल एवं गंगाराम के द्वारा प्रतिवादी के हक में कोई वयनामा नहीं किया, प्रस्तुत विक्रयपत्र फर्जी एवं झूंठा है। रामपाल ने अपनी पत्नी शांतिबाई के नाम से वादीगण के स्वत्वों को नुकसान पहुँचाने के आशय से दिनांक 01.07.1984 को दिखावटी एवं फर्जी स्वत्वविहीन वयनामा कर दिया था, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी द्वारा पक्का निमार्ण कार्य कराया गया तथा परनाले को बंद करने से वादी को रोका तब प्रतिवादीगण ने लंढ के बल पर दो कमरों का निमार्ण करा लिया। अतः उक्त भाग को तुडवाया जाकर कब्जा दिलाये जाने एवं 300रुपये प्रतिमाह के हिसाब से अन्तवर्ती लाभ दिलाए जाने तथा वादी के परनाले का पानी बहने से न रोके जाने तथा वयनामा दिनांक 07.01.1963 एवं दिनांक 01.07.1984 को शून्य घोषित किए जाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेत् विचारण न्यायालय में दावा पेश किया।

04— प्रतिवादीगण / प्रत्यर्थीगण ने प्रतिउत्तर में वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य को अस्वीकार करते हुए मानचित्र को गलत बताया है एवं विवादित भूमि पैत्रक न होकर वयनामें के द्वारा प्राप्त होना व्यक्त किया है यह भी व्यक्त किया गया है कि 99 / –रुपये में वयनामा 7.1.63 को उनके पक्ष में किया गया था ओर उस समय वादी क्रमांक—1 ने हस्ताक्षर किए थे ओर प्रतिवादी क्रमांक—1 हीरालाल को कब्जा दिया था। प्रतिवादीगण का नगर पालिका गोंहद में नामान्तरण हो गया है ओर दिनांक 2.9.1994 को भवन निमार्ण की अनुमित नगर पालिका गोंहद से प्राप्त की है। वादी/अपीलार्थीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है। अतः दावा सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

05— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर बादप्रश्नों की रचना की और विचारण करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य उपरांत गुणदोषो पर आलोच्य निर्णय पारित कर वादी/अपीलार्थीगण का वाद खारिज किया जिससे व्यथित होकर उक्त अपील पेश की गई।

06— वादी/अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील ज्ञापन में यह आधार लिया गया है कि विद्वान अधि0 न्या0 ने अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया और कोई दस्तावेज पेश न होने से वाद निरस्त कर दिया। साक्ष्य को नजर—अंदाज कर गलत तरीके से उसका वाद निरस्त किया है। विचारण न्यायालय ने परनालों का बहना एवं उनका अस्त्वि होना मान्य किया है तब वादी के पक्ष में स्थाई निषधाज्ञा दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में स्थाई निषधाज्ञा जारी न करने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण का कब्जा दीर्घ काल से होना गलत माना है। विचारण न्यायालय ने जिन आधारों पर वाद निरस्त किया है वे सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं। इसलिए अधि0न्यायालय का आलोच्य निर्णय और डिकी को अपास्त किया जावे।

07— प्रत्यर्थी / प्रतिवादी हीरालाल की ओर से आदेश 41 नियम 22 व्य०प्र०स० के अन्तर्गत कॉस आब्जेक्शन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी हीरालाल ने वाद प्रश्न कमांक—1 के अंश भाग एवं वाद प्रश्न कमांक—3 एवं 7 के संबंध में व्यक्त किया है कि वादी को वादग्रस्त भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है तथा वादप्रश्न कमांक 4 एवं 7 के निष्कर्ष गलत होकर कानून के खिलाफ हैं। प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के हक में वादीगण रामपाल एवं रमेश व अर्जुन के पिता गंगाराम दिनांक 7.1.1963 को विधिवत वयनामा किया था जिससे हीरालाल को स्वत्व स्वामी प्राप्त हुए थे। 99 / —रुपये प्रतिफल के वयनामा को पंजीयन कराना आवश्यक नहीं था। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी क्रमांक—1 हीरालाल ने प्रत्यर्थी क्रमांक—2 शांतिबाई के हक में दिनांक 1.7.1984 को जो वयनामा किया था वह विधिनुसार सही है और शांतिबाई को भूमिस्वामी के स्वत्व प्राप्त हुए थे। उसने अपने स्वामित्व की भूमि पर नगरपालिका गोहद से भवन निर्माण की स्वीकृति लेकर निर्माण किया है। धारा 58 साक्ष्य विधान के अनुसार स्वीकृत तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अतः कॉस ओब्जेक्शन स्वीकार किया जाकर अपील निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

07— उक्त विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु निम्न प्रश्न विचारणीय है :--

1— क्या अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भूल की है ? क्या अपील स्वीकार की जाकर का वादी/अपीलार्थी का वाद डिकी किए जाने योग्य है ? 2— क्या प्रत्यर्थी / प्रतिवादी की की ओर से प्रस्तुत कास ऑब्जेक्शन स्वीकार किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वाद ग्रस्त भूमि का स्वामी एवं आधिपत्यधारी घोषित किया जाना विधिसम्मत है?

-::- <u>निष्कर्ष के आधार -::-</u> विचारणीय प्रश्न कमांक 1 एव 2

08— अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है। उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन किया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया । विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया ।

09— विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय के माध्यम से वादी/अपीलार्थी को विवादित भूमि का स्वामी घोषित किया गया है, किन्तु उनका आधिपत्य न मानते हुए आज्ञाप्क एवं स्थाई व्यादेश ओर कब्जा वापिसी व अन्तवर्ती लाभ की सहायता प्रदान करने से इंकार किया गया है ओर प्रतिवादीगण का आधिपत्य अवैध नहीं माना है। प्रकरण में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण की ओर से मूल वाद में कोई प्रतिदावा नहीं किया गया था इसलिए यह बिन्दु विचारणीय रहेगा कि क्या उनके द्वारा क्रॉस आब्जेक्शन के माध्यम से चाही गई डिकी प्रतिदावा के अभाव में प्रदान की जा सकती है?

- 10. मामले में वाद प्रश्न कमांक 4, 5 व 6 का प्रारंभिक रुप से निराकरण किया गया ओर उसके विरुद्व किसी पक्ष द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ओर इसके संबंध में क्रॉस आब्जेक्शन में न्यायशुल्क बाबत आपित्त अवश्य उठाई गई किन्तु इस पर कोई सुद्रण जानकारी नहीं आई इसलिए न्यायशुल्क के संबंध में आपित्त विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती है ओर इस बाबत पृथक से निष्कर्ष दिया जाना प्रकरण में आवश्यक नहीं है।
- मूल अभिलेख के परिशीलन से स्पष्ट है कि वादीगण की ओर से छोटेलाल व पातीराम की साक्ष्य कराई गई है ओर प्रदर्श पी-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किए है। खण्डन स्वरुप प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से हीरालाल, रामस्वरुप पुत्र धनुराम रामस्वरूप पुत्र मनराखन तथा विद्याराम को प्रतिवादी साक्षी क्रमांक–14 के रुप में पेश किया गया है ओर प्रदर्श डी–1 लगायत डी–16 के दस्तावेज भी पेश किए हैं। यह सुस्थापित विधि है कि जहाँ उभयपक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश की जाती है, वहाँ सम्पूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने होते हैं। सिविल मामलों के संबंध में यह भी संस्थापित विधि है कि वादी द्वारा जिन आधारों पर डिकी चाही जावे उन्हें साबित ओर प्रमाणित करने का भार उन पर होता है वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकते हैं। हस्तगत प्रकरण में भी यह सिद्वान्त लागू होगा ओर उपलब्ध साक्ष्य तथ्य, परिस्थितियाँ, अभिवचनों के आधार पर यह निष्कर्षित करना होगा कि जिन आधारों पर वादी नें मूल वाद पेश किया है उन्हें वह विधिनुसार प्रमाणित करने में सफल हुआ अथवा नहीं ओर क्या मौके पर प्रत्यर्थी / प्रतिवादी का आधिपत्य अवैध हो जाता है या नहीं? विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आधिपत्य अवैध नहीं माना है। प्रतिवादीगण द्वारा जो मूल आधार प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रदर्श डी-1के वयनामें के आधार पर अपना हक, अधिकार प्रकट करते हुए वादी के अभिवचनों का खंडन किया है ओर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदर्श डी-1 के वयनामें को अवैधानिक करार दिया है। ऐसे में कब्जे का

बिन्दु विचारणीय हो जाता है। क्योंकि उक्त वयनामे के आधार पर ही प्रत्यर्थी / प्रतिवादी हीरालाल, जो वर्तमान में फौत हो चुका है को आधिपत्य प्राप्त होना प्रकट किया गया है।

- 12. जहाँ तक वादग्रस्त भूमि का वादी/अपीलार्थी के पैत्रिक होने का बिन्दु है इस संबंध में अभिलेख पर वादी की ओर से छोटेलाल की ओर उसके साक्षी पातीराम (वा0सा020) ने विवादित भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय की पैत्रक बताई है ओर उस समय से गोड़ा के रूप में उपयोग बताया है, जिसके पूर्व में वादीगण का रिहायशी मकान है, पिश्चम में विवादित भूमि जिसमें प्रतिवादी द्वारा बनाया गया मकान के बाद शासकीय गली है, पैत्रक संपत्ति के संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण द्वारा अभिवचनों में तो इंकार किया गया है किन्तु प्रतिवादीगण की ओर से अभिलेख पर जो साक्ष्य पेश की गई है उसमें स्वयं हीरालाल (प्र0सा01) ने अपनी साक्ष्य पैरा—3 में यह प्रकट किया गया है कि विवादित जगह के पीछे पूर्व दिशा की ओर वादी के चारों भाईयों के मकान बने हुए हैं, जिसमें चारों रहते हैं और पूर्व तरफ चार साइड पक्की हैं तथा विवादित जगह में पूर्व दिशा में वादीगण की छत है, जिसमें तीन परनाले हैं, जो प्रदर्श डी.—1 के बयनामा के पहले का बना हुआ है । वह यह भी कहता है कि जब उसने बयनामा कराया था, तब चारों रामपाल, गंगाराम, छोटेलाल एवं रामरतन मौजूद थे और परनाले फेरने की बात चारों से कही गयी थीं । उसके अन्य साथी रामस्वरूप पुत्र धनूराम प्रतिवादी साक्षी क्रमांक—2 ने भी प्रतिपरीक्षण पैरा—1 में ही इस बात की स्वीकारोक्ति की है ।
- 13. वादीगण के चारों भाई एक ही मकान जो पुश्तैनी है तथा जो मकान हीरालाल द्वारा बनाया गया था, वह वादीगण के पूर्वजों का था और बयनामा के पूर्व चारों भाईयों का था । इससे विवादित भूमि पैत्रिक संपत्ति <u>वादी/अपीलार्थी</u> की होना <u>प्रतिवादी/प्रत</u>्यर्थी की ओर से स्वीकृत है और पैत्रिक संपत्ति विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आलोच्य निर्णय द्वारा मानी है । उसमें कोई विधि या तथ्य की भूल नहीं है और पैत्रिक संपत्ति मानी जानी का निष्कर्ष पुष्टि योग्य हैं तथा चारों वादीगण का इसमें पैत्रिक हक होना बताया गया है, इसलिये यह बिन्दु भी विचारणीय रहेगा कि प्रदर्श डी—1 का वयनामा को तो अवैधानिक करार दिया है किन्तु उसे संपाश्विक उददेश्य (को लेटरल पर्पज) के लिए साक्ष्य को ग्राह्य बताया है, यह विधिक बिन्दु देखना होगा। क्योंकि प्रत्य<u>र्थी/प्रतिवादी</u> का आधिपत्य अवैध नहीं माना गया है, जो प्रर्दश डी—1 पर ही आधारित है। ऐसे में प्रर्दश डी—1 का दस्तावेज प्रकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका मूल्यांकन ओर विश्लेषण करना होगा जो कि 99 रुपये प्रतिफल का बताया गया है। जो अपंजीकृत था, जिसे विचारण न्यायालय के द्वारा ने तत्समय विवादित भूमि का मूल्य 700 रूपये मानकर मुद्रांकित कराया गया।
- 14. वादी/अपीलार्थी की ओर से छोटेलाल वा.सा.—1 और पातीराम वा.सा.—2 ने अपने मुख्य परीक्षण शपथपत्र में प्रदर्श डी—1 के बयनामे के अस्तित्व से इंकार किया है तथा छोटेलाल ने बयनामा हीरालाल के पक्ष में उसके भाई गंगाराम और रामपाल द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रतिपरीक्षण में भी इंकार किया है । उसकी कंडिका 14 में एक स्थान पर 7/1/63 को गंगाराम व रामपाल से हीरालाल को जगह बयनामा की थी, उल्लेखित है। क्योंकि ऊपर ही बयनामा ना करना भी लेखबद्ध किया गया है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्षी के कथन को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिये एवं गुमराह वाक्य के आधार पर, जो उसके कथन में आये हों, उसके कथन का सार व्यक्त नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में न्याय दृष्टांत जसवंत सिंह विरुद्ध चंपालाल आदि 1984 राजस्व निर्णय पेज—36 अवलोकनीय है, ऐसे में वादी साक्षी क.—1 का

बयनामा खण्डित ही माना जावेगा । जो वह अपनी संपूर्ण साक्ष्य में कह रहा है, लेकिन पातीराम अ.सा.—2 ने प्रतिपरीक्षण पैरा—11 में गंगाराम, रामपाल के द्वारा 1963 में हीरालाल के हक में बयनामा किए जाने की बात बतायी है और हीरालाल द्वारा गंगाराम के जीवनकाल में ही मकान बना लेने की बात कही तथा उसमें रामपाल के सभी भाईयों का अलग अलग रहना बताया है और छोटेलाल से अपनी रिश्तेदारी प्रकट की है । किन्तु उसे यह जानकारी नहीं है कि कितनी भूमि पर मकान बना है ? और कितनी बेची गयी ? किसने गवाही दी ? उसके अनुसार भगवान और मेवाराम दोनों की मृत्यु हो चुकी है । जो प्रदर्श डी.—1 के अनुप्रमाणक साक्षी हैं । पातीराम भी प्रदर्श डी.—1 का साक्षी नहीं है और वह बयनामा की बात सुने मुताबिक बताता है । प्रदर्श डी.—1 के बयनामा के संबंध में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की ओर से भी साक्ष्य पेश की गयी है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा । ऐसे में इस बिन्दु पर प्रतिवादी साक्ष्य का मूल्यांकन आवश्यक है ।

मूलतः प्रतिवादी हीरालाल प्र.सा.–1 ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य कंडिका-1 में विवादित भूमि रामपाल के भाई गंगाराम दोनों से खरीदना और उसके बाद अपना मकान बनाना बताया है जिसमें दो पक्के कमरे, तीन खपरेल लैटरिन, बाथरूम आदि अनुमति लेकर बनाना बताया है। प्र०डी० ०१ के संबंध में उसके प्रतिपरीक्षण पैरा 03 एवं 04 में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति आई है कि उसने वयनामा के प्रतिफल के रूप में 500 / – रूपये रामपाल, गंगाराम को दिये और 500 / – रूपये में ही जमीन खरीदी थी किन्तु 99 / — रूपये का वयनामा कराये जाने के संबंध में पैरा 04 में उसका ऐसा कहना रहा है कि खर्च की वजह से 99/- रूपये लिखवाया था क्योंकि यदि 500/- रूपये लिखवाते तो खर्च बढता और रजिस्ट्री करानी पडती। वह मेवाराम व भगवानदास को साक्षी बताता है और वयनामा स्टाम्प स्वयं अपने नाम से खरीद कर लेना भी स्वीकार करता है। यह निर्विवादित है कि प्र0डीं0 01 की अनुप्रमाणक साक्षियों में से भगवानदास और मेवाराम के नाम का उल्लेख है और उनके हस्ताक्षर हैं किन्तू प्र0डी0 01 में पक्षकार और अनुप्रमाणक साक्षियों का पूर्ण विवरण नहीं हैं। अनुप्रमाणक साक्षियों के नाम विल्दियत पते अंकित नहीं है और प्रतिवादी / प्रत्यर्थी की ओर से जो अन्य साक्षी पेश किये गये है उनमें प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 02 के अनुसार प्र0डी0 01 के वयनामे के ना तो वह साक्षी हैं और न ही वयनामे के समय साथ जाना बताया है। वह केवल लोगों से वयनामे की बात सुनना कहता है लेकिन किस प्रकार से जानकारी लगी यह बताने में वह असमर्थ है। इसके अलावा अनुप्रमाणक बताया गया साक्षी मेवाराम फौत हो चुका है और उसका भाई रामस्वरूप प्रतिवादी साक्षी क्रमांक ०३ और उसके पुत्र विद्याराम को प्र0सा० ०४ के रूप में पेश किया गया है। प्र0डी0 01 के मेवाराम के हस्ताक्षर होना कहता है किन्तू मेवाराम के मानक हस्ताक्षर के संबंध में कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है जिससे उसके हस्ताक्षरों की तलना की जा सके।

16— प्र0सा0 03 एवं 04 जो कि मेवाराम के निकट संबंधी हैं उनके कथनों में विरोधाभाषी स्थिती है। प्र0सा0 03 के अनुसार उसका भाई मेवाराम जो उससे 10 साल बडा था, उसके सामने नहीं पड़ा, लेकिन उसने हस्ताक्षर करते हुऐ देखा है। मेवाराम के हस्ताक्षरों का कोई कागज नहीं है। वह मेवाराम का निगोतिया के यहाँ तौला—ताली का काम करना बताता है। लेकिन उसके सामने मेवाराम ने अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किये। जबकि मेवाराम के पुत्र प्र0सा0 04 में इस बात से इंकार किया है कि उसका पिता कहीं नोकरी करता था, विल्क उसने पिता का सब्जी बेचना और उसको हिसाब किताब कॉपी पर लिखना बचपन से बताया है। उसके अनुसार उसके पिता हस्ताक्षर के

पहले दः: नहीं लिखते थे, जैसा कि प्र0डी० ०१ में प्रकट होता है। मेवाराम के नाम के और भी व्यक्ति होना दोनों की ही साक्ष्य में आया है क्योंकि उनके पड़ोस में मेवाराम आदिवासी का रहना भी प्र0सा0 04 ने माना है। मेवाराम पुत्र अर्जुन नामक व्यक्तियों के संबंध में प्र0सा0 04 को जानकारी नहीं है और प्र0सा0 03 को मोहल्ले में अन्य कोई मेवाराम होना या छोटेलाल का भतीजा मेवाराम होने की जानकारी नहीं है। ऐसे में वयनामे की पृष्टि प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 02 लगायत 04 से नहीं मानी जा सकती है और वह इस लिये भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि प्र0सा0 02 के अनुसार वादी छोटेलाल के लडकों से उसका फौजदारी का मामला मारपीट संबंधी चला था। ऐसे में उसका इस रंजिस के आधार पर प्रत्यर्थी / प्रतिवादी का साक्षी बनना परिलक्षित होता है और प्रतिवादी साक्षी कमांक 03 व 04 वयनामा के समय होने के पुष्टि नहीं होती है क्यों कि प्र0सा0 04 तो उस समय था ही नहीं, क्यों कि प्र0डी० 01 सन् 1963 का है और प्र0सा0 04 की उम्र 2009 में 40 साल प्रकट की गई है। जिससे उसका जन्म 1969 को होना अर्थात वयनामा के 06 साल वाद का होने से उसे वयनामा के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो सकती है और प्र0सा0 03 जो मेवाराम का भाई है वह इस कारण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि स्वयं प्रतिवादी हीरालाल प्र0डी० ०१ के वयनामा की प्रतिफल की राशि ५००/— रूपये होना और 500 / - रूपये ही रामपाल, गंगाराम को देना कहता है, जबकि प्रतिवादी साक्षी 03 वयनामा के समय स्वयं का साथ में होना अवश्य कह रहा है किन्तु वह हीरालाल द्वारा उसके सामने वयनामा के 99 / – रूपये देना प्रतिपरीक्षण कण्डिका 04 में कहता है इससे उसकी साक्ष्य खण्डित हो जाती है।

17— प्र0डी० 01 के दस्तावेज की व्याख्या की जावे तो वह जहां एक ओर अपंजीकृत दस्तावेज है और साक्ष्य से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक प्रतिफल 500/— रूपये था तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के अनुसार जहाँ 100/— रूपये या उससे अधिक मूल्य के स्थावर संपत्ति का अंतरण किया जाता है तो उसका लिखित और पंजीकृत दस्तावेज अनिवार्य है और धारा 49 रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार जिन दस्तावेजों का रिजस्ट्रीकरण अपेक्षित है। उनके अरिजस्ट्रीकरण होने की दशा में स्थावर संपत्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। उक्त धारा की उप धारा 'ग' के परन्तुक में विनिर्दिष्ट अन्तोष अधिनियम (1877 क—1) के अध्याय 02 के अधीन विनिर्दिष्ट पालन के बाद संमिवदा की साक्ष्य के तौर पर या सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1982 की धारा 53—क के प्रयोजन के लिये सम्विदा का भागितः पालन का साक्ष्य के तौर पर या किसी ऐसे सम्पाश्विक सम्व्यवहार की साक्ष्य के तौर पर, जो रिजस्ट्रीकृत लिखित द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित न हो, ली जा सकेगी।

18— ऐसी स्थिती में प्र0डी० 01 का आधिपत्य के बिन्दू पर सम्पाश्विक उद्देश्य के लिये ग्राहय दस्तावेज विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मानने में विधिक त्रुटि की गई है क्योंकि प्र0डी० 01 की सम्पत्ति तथा अन्तरण अधिनियम की धारा के अधीन नहीं आता है और ऐसा सम्पाश्विक उद्देश्य के लिये भी ग्राहय नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में अविनाश कुमार चौहान विरुद्ध विजय कृष्ण ए.आई.आर.—2009 सु. को. पेज—1489 में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि स्टाम्प अधिनियम की धारा—35 के संदर्भ में यदि कोई दस्तावेज उचित रूप से मुद्रांकित नहीं है तो साक्ष्य में ग्राहय नहीं हो सकता है ना ही वह अनुशांगिक कार्यवाही के लिए उपयोग में लाया जा सकता है । प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायद्षात चेनसिंह विरुद्ध रामचन्द्र एवं अन्य 1992 (भाग 01) एम. पी.जे.आर. पेज 299 पेश किया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य विधान

की धारा 91 की व्यख्या करते हुए यह मार्ग दर्शन दिया गया है कि विलेख में यदि कब्जा देने का उल्लेख है तो ऐसा कब तक स्वत्व धाराण करने वाले पक्षकार पर बंधनकारी माना जावेगा। जब तक संतोषप्रद स्पष्टीकरण न दे दिया गया हो जो कि सर्वमान्य सिद्धांत है, किन्तु इस मामले में इसलिये लागू नहीं होगा कि प्र0डी0 01 के अस्तित्व को प्रश्नगत कहा है और प्र0डी0 01 वैधानिक नहीं माना गया है। इसलिये उक्त प्राब्धान का कोई लाभ उन्हें नहीं पहुँचता है।

विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्र०डी० ०१ के सम्पाश्विक उद्देश्य के लिये आक्षेपित निर्णय में ग्राह्य दस्तावेज मान कर विधिक त्रुटि किए जाना पाया जाता है। क्योंकि दोनों संव्यवहार का ही अस्तित्व विधिवत स्थापित नहीं है व ऐसे दस्तावेज को ग्राहय किया जाना विधि सम्मत नहीं है। दस्तावेजों के संबंध में यह भी सुस्थापित विधि है कि किसी दस्तावेज के निबंधन से ही उसके संव्यवहार की प्रकृति ओर आशय एकत्र किए जाने चाहिए। उसके निबंधन का रुपातंरण एवं खंडन करने वाली मौखिक साक्ष्य महत्वहीन हो जाती है। जैसा कि म0प्र0उच्च न्यायालय द्वारा न्यायद्ष्टांत रमाकांत विरुद्ध **स्रेशचन्द्र 1990(भाग-2) एम0पी0वीकली नोट-182** में सिद्धांत उत्पादित किया गया है। प्र0पी0 01 को वादी / अपीलार्थी द्वारा फर्जी अथवा कूट रचित होना बताया गया है। प्रत्यर्थी / प्रतिवादी उसे सप्रतिफल व कब्जे का आदान प्रदान सहित वास्तविक विक्रय बताकर आया है। ऐसे में कपट के बिन्दू का प्रमाण का भार वादी पर और वास्तविक विक्रय का भार प्रतिवादी पर है। प्र0डी० ०१ के संबंध में जहाँ स्वयं उसके केता की ही प्रतिफल बावत विरोधाभाषी साक्ष्य और अभिवचन से उसे प्र0डी0 01 का वास्तविक विक्रय नहीं माना जा सकता है न ही उससे हक अधिकार का अन्तरण माना जा सकता है क्यों कि अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें वादी / अपीलार्थीगण 04 भाई हैं गंगाराम, रामरतन फौत हो चुके है तथा रामपाल व छोटेलाल जो जीवित हैं उनकी पैतृक संपत्ति मानी गई है। ऐसे में सम्पूर्ण भूमि गंगाराम व रामपाल के द्वारा विक्रय ही नहीं की जा सकती है क्योंकि उसमें रामरतन और छोटेलाल का भी समान रूप से हक अधिकार अंश व हित है और प्र0डी0 01 में रामरतन व छोटेलाल की सहमति का विक्रय पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। जबकी सामिल सरीक ततसमय पाये गये हैं। ऐसे में प्र0डी० ०१ से प्रत्यर्थी / प्रतिवादी हीरालाल को यह हक अधिकार, स्वत्व व वैद्य अधिकार का अन्तरण विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है और मौके पर जो प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का निर्माण व अधिपत्य है वह ऐसी स्थिती में अवैधानिक हो जाता है और यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी अतिकामक का कब्जा विधि द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता।

20— चूंकि प्र0डी० 01 का वयनामा वास्तविक विक्रय और विधि सम्मत और उसका निष्पादन नहीं माना गया है ऐसे में हीरालाल द्वारा अपनी ही पत्नी शांतीबाई को प्र0डी० 02 का दिनांक 01/07/1984 को किया गया वयनामा का कोई विधिक मूल्य नहीं रहा है और स्वयं हीरालाल प्र0सा० 01 ने इस संबंध में यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति भी की है कि उसकी पत्नी शांतिबाई का कोई वयनामा नहीं है और न हीं अभिवचनों में ऐसा बताया तथा वैसे ही लिखवा लिया, शांतीबाई को कोई हक नहीं मिला। शांतीबाई के नाम से नगर पालिका से निमार्ण की अनुमति ली वह भी उसने गडसड करके ली है जिसके पैरा 05 व 06 में उसने यह भी कहा है कि प्र0डी० 02 भी केवल दिखावटी व नुमाईसी दस्तावेज की श्रेणी में आयेगा और उससे किसी हक व अधिकार का अन्तरण नहीं माना जा सकता है। ऐसे में शांतीबाई के नाम जो अनुमति नक्शा आदि प्र0डी० 03, डी० 06, 09, 10, 14, 15 के दस्तावेजों का कोई महत्व नहीं है और न हीं उनका विश्लेषण आवश्यक है तथा हीरालाल के द्वारा निमार्ण की अनुमति के संबंध में जो दस्तावेज प्र0डी०

04, 05, 07, 08, 11, 12, 13, 16 के पेश किये गये हैं उनका भी कोई विधिक मूल्य नहीं रह जाता है क्योंकि प्र0डी0 01 का वयनामा वैधानिक नहीं पाया जाता है और निर्माण स्वीकृति के आधार पर किसी व्यक्ति को कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा स्वयं प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि 99 / — रूपये में प्र0डी0 01 का वास्तविक वयनामा कराया था। जबिक वादी साक्ष्य से विवादित सम्पत्ति पेत्रक होना उनके पूर्व से मकान होना, उसका निवासरत् होना और उनके मकानों के तीन परनाले प्रतिवादी द्वारा बनाये गये मकान तरफ व गली में होना उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित होता है और प्रतिवादी साक्षियों ने भी परनाले के अस्तित्व को स्वीकार किया है। इस संबंध में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत उमाशंकर शुक्ला विरुद्ध लिताबाई 1997 भाग–1 एम.पी.वीकली नोट शॉर्ट नोट–199 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि 100 रूपये से अधिक की संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेज प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। यदि उसका रिजस्ट्रेशन नहीं हो, जो वर्तमान मामले में भी लागू होता है क्योंकि प्रदर्श डी.–1, 99/ — के प्रतिफल के आधार पर निष्पादित बताया गया है।

21— स्वयं प्रतिवादीगण के द्वारा वादोत्तर की कण्डिका 05 व 09 में परनालों और वादीगण के मकानों की स्वीकारोक्ति की गई है। साक्ष्य में भी स्वीकार किया है और यह बताया है कि प्र0डी0 01 के निष्पादन के समय मौखिक रूप से यह तय हुआ था कि वादीगण परनाले फेर लेंगे। परनाले फेर लेने के बिन्दु का प्रमाण भार हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण पर था जिसे वह पूर्ण करने में असफल रहे हैं। जबिक परनालों के अस्तित्व और उनसे ही वर्तमान में भी पानी का निकास एवं प्रत्यर्थी एवं प्रतिवादीगण ने साक्ष्य में भी स्वीकार किया है और स्वीकारोक्ति आई है। उससे प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण किये गये मकान में भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि परनाले पूर्व से हैं और प्रतिवादी का मकान बाद में बना है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण ने कोई प्रतिदावा प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर नहीं है। ऐसे में उनकी ओर से जो कॉस आब्जेक्शन में कब्जा वर्तमान में है 12 वर्ष ही म्याद का आधार लिया है वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसका अविलम्ब तभी लिया जा सकता है जबकि मामले में प्रतिकृल आधिपत्य का आधार लिया जाता। ऐसे में मियाद की गणना उत्पन्न वादकारण के आधार पर की जावेगी और उससे वादी के अभिवचनों को और साक्ष्य में जून 1999 में बलपूर्वक कब्जा करके निमार्ण करने की बात बताई है, जिसकी पृष्टि प्रतिवादी साक्षी रामस्वरूप प्र0सा0 02 के प्रतिपरीक्षण कण्डिका 01 से होती है। जिसमें उसने स्वीकार किया है कि वादी के कमरों के परनाले हीरालाल की चोक में गिरते हैं जिसे वह हमेशा से ही देखता चला आ रहा है और प्रतिवादीगण ने जब परनाले देखे थे तब विवाद हुआ था तभी से मामला चालू हुआ था। इससे प्रकट किये गये वादकारण को बल मिलता है। ऐसे में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष की निर्माण बताये गये बाद कारण के समय का न होकर और पूर्व का है। उसे स्थिर नहीं रखा जा सकता है। वादी साक्षी क्रमांक 02 ने गंगाराम के जीवन काल में निर्माण बताया है, लेकिन गंगाराम की मृत्यु कब हुई यह स्पष्ट नहीं किया है। ऐसे में अभिलेख पर जो समग्र साक्ष्य विद्यमान है उससे वादी के आधारों को बल मिलता है। ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय मृताविक वादप्रश्न क्रमांक 02–स को अप्रमाणित मानने में तथ्य की भूल किया जाना पाया जाता है और इस बिन्दू पर आलोच्य निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है तथा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण द्वारा किया गया क्रॉस ऑब्जेक्शन भी उक्त स्थिती में निरस्त योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का वादग्रस्त भूमि पर सन 1970 के पूर्व से आधिपत्य होने का निष्कर्ष भी अपास्त किये जाने योग्य है और वादीगण विवादित भूमि का आधिपत्य पाने का वैध अधिकारी पाया जाता है। जहाँ तक 300/— रूपये मासिक अन्तवर्ती लाभ का प्रश्न है इस बावत् सुदृण साक्ष्य का अभाव है स्वयं वादीगण के अभिवचनों के अनुसार विवादित भूमि का उपयोग गौंडा के रूप में अर्थात पशुओं का सामान रखने व उन्हें बांधने के लिया करना बताया है। ऐसे में उसे कोई आय अर्जित न होना स्पष्ट होता है। ऐसी साक्ष्य नहीं आई है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमी पर किया गया निर्माण और आधिपत्य के कारण उसे अपने मवेसी बांधने तथा उनका सामान रखने के लिये कोई आर्थिक व्यय करना पड़ा हो। ऐसे में अन्तवर्ती लाभ नहीं दिलाया जा सकता है।

23— वादीगण की ओर से यह आधार भी लिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा जिस जगह पर निर्माण कर लिया है उसकी कीमत 5000 / — रूपये देकर प्रतिवादी वयनामा करा लेने और खाली जगह का वापस कब्जा देगा तथा जो एक परनाला बनाकर बंद किया है उसमें पाईप डालकर पानी निकालने का इंतजाम कर देगा और शेष पानी खुली जगह से निकलता रहेगा। इससे वादीगण की विक्रय की भावना झलकती है। ऐसे में निर्मित भाग के संबंध में वैकल्पिक डिकी भी वादीगण के पक्ष में प्रदत्त किया जाना उचित व न्याय संगत होगा। परनालों से पानी निकलने की साक्ष्य आई है उनके संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किया जाना भी उचित व न्यायसंगत होगा। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण की निर्माण स्वीकृतियाँ डी० 05, 13, 16 को भी मान्य करने में त्रुटी की गई है। ऐसी स्थिती में वादी / अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

- 24. फलतः प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण का कोस प्रकरण निरस्त किया जाता है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिकी दिनांकित 19/03/09 विधिसम्मत ना होने से अपास्त करते हुऐ वादी / अपीलार्थीगण के पक्ष में प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञप्ति प्रदत्त की जाती है :--
- (अ) वादीगण का वादग्रस्त भूमि का पैत्रक भूमिस्वामी होने से संयुक्तः भूमिस्वामी होना घोषित किया जाता है।
- (ब) प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह विवादित भूमि अ, ब, स, द का वादीगण को दो माह के भीतर रिक्त आधिपत्य सौंप कर रसीद प्राप्त करें तथा निर्मित भाग 19 गुणित 35 वर्गफीट में वादीगण एक परनाले में पाईप डालकर पानी का निकास चालू करें व अन्य दो परनाले क, ख, ग, घ भूमि में गिरते हैं उन्हें यथावत् चालू रहने देना और उनमें किसी प्रकार का कोई अवरोध या बाधा उत्पन्न नहीं करेगें।
- (स) प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण निर्मित भूभाग जिसमें दो पक्के कमरे, गैलरी जिसमें वह खपरैल भी डालकर रहता है उस भूभाग 19.6 फीट गुणित 33.6 फीट का वर्ष 1999 में बताये गये 5000 / रूपये मूल्य पर 06 प्रतिशत वार्षिक व्याज जोडते हुए दो माह के भीतर उसको वादीगण / अपीलार्थीगण से विधिवत् प्रतिफल देकर पंजीकृत विक्रय पत्र करालें अन्यथा उक्त भूभाग पर हुये निमार्ण स्वयं के व्यय पर हटाकर वादी / अपीलार्थी को रिक्त

11 सिबिल अपील क्रमांकः 16/14

आधिपत्य देगा । अवधि निकल जाने के बाद वादीगण प्रत्यर्थी / प्रतिवादीगण के खर्च पर विधि अनुसार कार्यवाही कर निर्माण को हटा सकेंगे और आधिपत्य ले सकेंगे । वादपत्र में संलग्न नक्शा डिकी का अंग रहेगा।

25. प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों में उभयपक्ष अपना—अपना व्यय स्वयं वहन करेंगें जिसका अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका अनुसार जो भी कम हो जोड़ा जावे।

तद्नुसार डिकी बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

सही / – (पी0सी0आर्य) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मेरे बोलने पर टंकित किया गया

सही / – (पी०सी०आर्य) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड